न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 31 / 2024 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती प्रेम देवी पत्नी भगवतीलाल जी स्वर्णकार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र पिता स्वर्गीय गोकल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती नानी बाई पत्नी स्वर्गीय गोकल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. विष्णु पिता रामचन्द्र जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. लालाराम पिता रामचन्द्र जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती गंगा देवी पत्नी रामचन्द्र जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दि0
11–07–2024 प्रकरण संख्या 45 / 19

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 28–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर खाता संख्या 256 की आराजी नंबर 2815 से 2822, 2963, 2964, 2969, 3384 / 2964 कुल किवा 12 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा में अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा विक्रय के आधार पर बताते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा चाही।

प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया ने वाद पत्र में तथाकथित पड़ोस के मध्य वर्णित भूमि जो आराजी नंबर 2964 के संबंध में है, केवल मात्र निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है तथा वाद के अभिवचनों से ही स्पष्ट है कि वादिया खातेदार अथवा सहखातेदार नहीं है, फिर भी उनके द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल मात्र निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादिया ने वाद में यह भी कथन किया है कि विक्रय पत्र में आराजी का गलत अंकन हो गया है अर्थात वादिया अपने वाद में शुद्धि चाहती है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। वादिया जब तक सक्षम सिविल न्यायालय ने विक्रय पत्र में शुद्धि या रेक्टीफिकेशन नहीं करवा लेती, तब तक वादिया का वाद चलने योग्य नहीं है। वादिया निषेधाज्ञा के माध्यम से दस्तावेज में शुद्धि करवाना चाहती है, जिसके संबंध में प्रभावकारी आदेश सक्षम न्यायलय से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा वादिया ने सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, न ही भूमिधारी को पक्षकार बनाया है, जिससे वादिया का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया जावे।

वादिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदारी घोषणा कराये बिना निषेधाज्ञा का वाद चलने में किसी प्रकार की कोई कानूनी आपत्ति नहीं है, जिससे उक्त वाद चलने योग्य है। वादिया का वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा का है शुद्धिकरण का नहीं है, जिसका श्रवणाधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है। स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में सभी सहखातेदारों को एवं भूमिधारी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 11–07–2024 को प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार करते हुए वादिया का वाद खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में केवल वादी के वाद को ही पढ़ा जावेगा, प्रतिवादी द्वारा डिफेन्स में उठाये गये बिन्दुओं को नहीं देखा जा सकेगा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज कर दिया, जो निरस्त योग्य है। प्रतिवादी द्वारा उठाये गये बिन्दु कानून व तथ्यों का मिश्रण है, जिसे जवाबदावे में उठाया जाकर तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ऐसे वाद में घोषणा करायी जानी आवश्यक नहीं है, क्योंकि टाईटल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2006-07 (Supp.) Page 345, RBJ (14) 2007 Page 256, AIR 2006 Sikkim Page 37, RRT 2002 (1) Page 111, RRT 2003 (1) Page 376 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार नहीं है, न ही उनके द्वारा घोषणा की दाद चाही गयी है। बिना घोषणा के स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार का वादिया का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादिया विवादित भूमि की न तो खातेदार है न ही सहखातेदार, ऐसी स्थिति में विधि अनुसार वादिया को स्थायी निषेधाज्ञा के साथ–साथ घोषणा का वाद भी प्रस्तुत करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना न्याय संगत नहीं मानते हुए प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 11–07–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती प्रेम देवी पत्नी भगवतीलाल स्वर्णकार, नि0 रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.) बनाम रामचन्द्र पिता स्व. गोकल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं०...**31 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....**.....रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....**11.....माह.....07.....**.....2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28.**....माह.....01**.....**सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा .....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 11–07–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28.....**माह.....**...01**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested